भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3146

दिनांक 09 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जिला अस्पतालों में सुपर-स्पेशियलिटी सुविधाएं

†3146. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनजर, गंभीर बीमारियों के लिए निजी नर्सिंग होम अथवा अस्पतालों में चिकित्सा उपचार का खर्च वहन नहीं कर सकने वाले गरीब लोगों हेतु राज्यों के साथ लागत-साझाकरण के आधार पर कम से कम जिला अस्पतालों को ही सुपर-स्पेशियलिटी सुविधाओं से लैस करने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार के पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की अवसंरचना के विकास हेतु कोई कार्यक्रम है; और
(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से विशिष्ट परिचर्या की सुपर-स्पेशियलिटी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और जिला अस्पताल (डीएच) स्तर तक प्राथमिक/मध्यम स्तरीय परिचर्या प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जिला अस्पतालों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अवसंरचना, मानव संसाधन और क्षमता निर्माण, औषधियों, निदान, उपकरण और गुणवत्ता आश्वासन के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेवाओं और कैंसर परिचर्या सुविधाओं के प्रावधान के लिए एनएचएम के तहत राज्यों/संघ

राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, कुछ जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में परिवर्तित किया गया है जो सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं प्रदान करते हैं।

पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत, योजना अवधि के दौरान 730 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल), 3382 ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों (बीपीएचयू) और 602 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए प्रावधान किए गए हैं।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और 15 वें वित्त आयोग (एफसी-XV) के तहत, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के विकास के लिए राज्य की संसाधन-सीमा के भीतर मानदंडों के अनुसार राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर सहायता की जाती है। मराठवाड़ा क्षेत्र सहित महाराष्ट्र राज्य में, वित्त आयोग-XV और एनएचएम के तहत वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों की कुल 395 इकाइयों को मंजूरी दी गई है।

******